ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावना :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति रीता कुमारी	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमति नीलम कुमारी	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.2014 से 23.02.2016
2	श्री राजेन्द्र पाल शर्मा	24.02.2016 से 31.03.2017
जलागम परियोजना सचिवः–		
1	श्री भूप सिंह	01.04.2014 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.19
2	6	जलागम परियोजना के अंशदान की राशि का लेखांकन न करना	1.24

3	7	नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे	
4	9	नियमों के विरूद्ध पन्द्रह बैंक बचत खातों का खोला जाना	––
5	10	बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना	––
6	11	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना	1.22
7	15	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.97
8	16	अनुदान की राशि का अवरोधन	15.83
9	17	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्ययः–	7.64
10	19	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय करना	13.53
11	20	नियमविरूद्ध ₹1000 से अधिक की राशियों का नकद भुगतान करना	7.24
12	24	निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करना	0.06

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 17/05/2017 से 23/05/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 05/2014, 07/2015, 01/2017 व 10/2014, 06/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•

शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं॰ अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–88 दिनांक 24/05/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक गुग्गा मोहड़ा के चैक संख्या 959753 दिनांक 24–05–2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	1387289	4398810	5786099	4711225	1074874
2015–16	1074874	4423107	5497981	4782164	715817
2016–17	715817	4693761	5409578	3826421	1583157

टिप्पणीः– ग्राम पंचायत पपलाह द्वारा स्व–स्त्रोतों (खाता ''क'') की आय के लिए हि प्र राज्य सह बैंक की गुग्गा मोहड़ा शाखा में बचत खाता 12310101001 तो नियमानुसार अलग से खोल लिया गया है तथा इससे सम्बन्धित आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व–स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹0.19 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2017 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹19,246 का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है।

क्र	खाता	अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–	
1	रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार शेषः–	1583157

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

	विवरण	बैंक	खाता	
1	पंचायत निधि खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	1001	589
2	पंचायत निधि खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	1008	745816
3	13वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	2087	19
4	14वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	4619	670257
5	इन्दिरा आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	1006	225
6	अटल/राजीव आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	3633	1793
7	जलवाहक वेतन	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	3634	309
8	एस डी पी	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	3637	5938
9	संसदीय क्षेत्र विकास निधि	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	3635	59524
10	पंचायत समिति अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	3636	37
11	जिला परिषद् अनुदान	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	3609	673
12	नरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	1569	0
13	जलागम परियोजना	हि•प्र•रा•स• बैंक झण्डुता	3735	0
14	जलागम परियोजना लाभार्थी अंशदान	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	0793	123981
15	आई डबल्यू एम पी	हि•प्र•रा•स• बैंक गुग्गा मोहड़ा	4270	7081
16	खाता 'क' की रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			0
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः				**1616242**

बैंक समाधान विवरणीः–

रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेषः		1583157
जमाः– बैंक खाता संख्या 12310100793 में 04/2014 से 03/2017 तक अर्जित ब्याज जिसका रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया हैः–	**13839**	
रोकड़ बहियों का संशोधित शेषः		**1596996**
बैंक खातों अनुसार अन्तशेषः		1616242
अन्तरः		**19246**

उपरोक्त ₹19246 के अन्तर जो कि पंचायत निधि खाता ''ख'' की वर्ष 2016–17 की रोकड़ बही से सम्बन्धित है के कारणों को स्पष्ट करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करके रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 जलागम परियोजना– लाभार्थी अंशदान के बैंक खाता संख्या 12310100793, की ₹1.24 लाख की राशि का लेखांकन न करनाः–

पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि दिनांक 31–03–2017 को बैंक बचत खाता संख्या 12310100793 में ₹1,23,981 अन्तशेष में थी जो कि जलागम परियोजना के अन्तर्गत आए लाभार्थियों द्वारा दिए गए अंशदान से सम्बन्धित है। परन्तु इस राशि को ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस अंतशेष की राशि में इस बैंक खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त ब्याज की ₹13839 भी शामिल है जिसे किसी भी रोकड़ बही में आय में लेखांकित नहीं किया गया है जैसा कि गत पैरा 5 में दर्शाई गई बैंक समाधान विवरणी में भी दर्शाया गया है। अतः इस राशि को लेखांकन से बाहर रखने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में पांच अलग–अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन पांच रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 रोकड़ बही में बिना प्रयोग किये कोरे पन्ने छोड़नाः–

पंचायत निधि की सामान्य रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 के लेनदेन की प्रविष्टियां पृष्ठ 66 पर करने के पश्चात इस रोकड़ बही में पृष्ठ 67 से 125 तक 59 पन्ने बिना कोई कारण स्पष्ट किए कोरे छोड़ दिए गए हैं जो कि इस सन्दर्भ प्रतिपादित नियमों तथा समय समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है।

अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की चूक का न दोहराया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 नियमों के विरूद्ध पन्द्रह बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत पपलाह में दो के स्थान गत पैरा 5 में वर्णित पन्द्रह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन तेरह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

10 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत पपलाह द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 खाता 'ख' के ₹1.22 लाख के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत पपलाह के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,22,135 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया

गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल
	9/2013	3/2014	9/2014	3/2015	9/2015	3/2016	ब्याज
1008	1689	2304	1824	4028	13485	6534	29864
2087	733	60	62	63	64	19	1001
4619	0	0	0	0	9692	28145	37837
1006	722	2237	542	434	722	4	4661
3633	77	421	175	178	185	35	1071
3634	21	19	1	169	75	6	291
3637	0	0	0	258	6	703	967
3635	5140	1414	1699	425	1126	834	10638
3636	731	887	3189	952	122	37	5918
3609	60	207	69	186	1093	312	1927
1569	416	108	26	23	24	17	614
3735	3125	1349	1243	856	49	10	6632
0793	2145	2240	2297	2343	2390	2424	13839
4270	0	2751	3538	129	319	138	6875
कुल योगः–	**14859**	**13997**	**14665**	**10044**	**29352**	**39218**	**122135**

12 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

13 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

14 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

15 पंचायत राजस्व ₹0.97 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पपलाह द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹96,900 की वसूली शेष थी।

1. **गृहकर** : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014–15 में 972, 2015–16 में 972 तथा 2016–17 में 972 परिवारों के लिए ₹20 प्रति परिवार की दर से वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 एवं तत्पश्चात ₹50 प्रति परिवार से प्राप्य गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	57000	19440	76440	0	76440
2015–16	76440	19440	95880	47580	48300
2016–17	48300	48600	96900	0	96900

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

16 अनुदान ₹15.83 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹15,83,157 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

17 बिना उचित बिलों के किया गया ₹7.64 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। चयनित माह के वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बही में दर्ज ₹7,64,461 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता ''क'' व खाता ''ख''			
1	31.5.14	22	रेत व बजरी	50000
2	31.5.14	22	सीमेंट ढुलाई भाड़ा	3125
3	31.10.14	30	रेत व बजरी	46640
4	31.10.14	30	ईंटें	4200
5	31.10.14	30	ईंटें	3500
6	31.10.14	30	रेत व बजरी	45000
7	31.10.14	30	रेत व बजरी	7770
8	31.10.14	30	रेत व बजरी	2150

9	30.6.15	51	ईंटें व रेत	19213
10	31.7.15	52	पत्थर, रेत व बजरी	37097
11	31.7.15	52	ईंटें व बजरी	6740
12	31.1.17	38	रेत व बजरी	9000
	आई डबल्यू एम पी परियोजनाः–			
13	27.3.15	05	खिड़की व दरवाजों के चौखट	28000
14	27.3.15	05	ईंटें	12600
15	16.6.15	06	ईंटें, बलुआ पत्थर व बोल्डर	31600
16	31.7.15	07	बजरी	43200
17	31.7.15	07	रेत व बजरी	18900
18	24.5.16	11	पत्थर, रेत व बजरी	20777
	जलागम परियोजनाः–			
19	24.4.14	43	रेत व बजरी	23400
20	24.4.14	43	शटरिंग	3960
21	24.4.14	43	सीमेंट ढुलाई भाड़ा	1900
22	24.4.14	43	शटरिंग व ढुलाई भाड़ा (9360+2850)	12210
23	24.4.14	43	पत्थर, रेत व बजरी (पृ 43 ₹26064 + पृ 44 ₹8236)	34300
24	24.4.14	43	पत्थर, रेत व बजरी	30400
25	24.4.14	43	शटरिंग	11660
26	6.8.14	44	शटरिंग	10650
27	6.8.14	44	रेत व बजरी	21600
	14वां वित्तायोगः–			
28	16.3.17	61	पत्थर, रेत व बजरी	46790
29	16.3.17	61	बलुआ पत्थर (₹41800 के बिल का आंशिक भुगतान)	15000
30	16.3.17	61	बलुआ पत्थर	26800
31	20.3.17	62	रेत	7200
32	20.3.17	62	रेत	12000

33	22.3.17	63	पत्थर, रेत व बजरी	15000
34	22.3.17	63	रेत	7560
35	27.3.17	64	पत्थर, रेत व बजरी	55539
36	31.3.17	68	बजरी	17380
37	31.3.17	68	निर्माण सामग्री	21600
	कुल योगः			**764461**

18 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत पैरा 17 में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की नमूना जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यों के लिए सीमेंट तथा सरिया के अतिरिक्त खरीदी जाने वाली समस्त निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹13.53 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹13,52,521 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता ''क'' व खाता ''ख''			
1	31.5.14	22	रेत व बजरी	50000

2	31.10.14	30	रेत व बजरी	46640
3	31.10.14	30	ईंटें	4200
4	31.10.14	30	ईंटें	3500
5	31.10.14	30	हैंडपम्प के लिए ड्रिलिंग	195000
6	31.10.14	30	रेत व बजरी	45000
7	31.10.14	30	रेत व बजरी	7770
8	31.10.14	30	रेत व बजरी	2150
9	30.6.15	51	हैंडपम्प के लिए ड्रिलिंग	23000
10	30.6.15	51	सरिया	38392
11	30.6.15	51	ईंटें व रेत	19213
12	30.6.15	51	सरिया	9700
13	31.7.15	52	पत्थर, रेत व बजरी	37097
14	31.7.15	52	ईंटें व बजरी	6740
15	31.1.17	38	रेत व बजरी	9000
	आई डबल्यू एम पी परियोजनाः–			
16	27.3.15	05	खिड़की व दरवाजों के चौखट	28000
17	27.3.15	05	ईंटें	12600
18	27.3.15	05	देवदार की लकड़ी	29900
19	27.3.15	05	देवदार की लकड़ी	29000
20	16.6.15	06	ईंटें, बलुआ पत्थर व बोल्डर	31600
21	31.7.15	07	बजरी	43200
22	31.7.15	07	रेत व बजरी	18900
23	16.6.15	06	सरिया	41558
24	28.9.15	08	सरिया	45000
25	24.5.16	11	खिड़कियों के शीशे	18270
26	24.5.16	11	खिड़की दरवाजों के लिए हैण्डल व कब्जे आदि	14630
27	24.5.16	11	पत्थर, रेत व बजरी	20777

जलागम परियोजनाः–

28	24.4.14	43	रेत व बजरी	23400
29	24.4.14	43	शटरिंग	3960
30	24.4.14	43	शटरिंग व ढुलाई भाड़ा (9360+2850)	12210
31	24.4.14	43	पत्थर, रेत व बजरी (पृ 43 ₹26064 + पृ 44 ₹8236)	34300
32	24.4.14	43	पत्थर, रेत व बजरी	30400
33	24.4.14	43	शटरिंग	11660
34	6.8.14	44	शटरिंग	10650
35	6.8.14	44	रेत व बजरी	21600
36	6.8.14	44	सरिया	20935

14वां वित्तायोगः–

37	1.3.17	60	बलुआ पत्थर	25000
38	1.3.17	60	बलुआ पत्थर	48000
39	1.3.17	60	बलुआ पत्थर	42000
40	1.3.17	60	रेत	12700
41	16.3.17	61	पत्थर, रेत व बजरी	46790
42	16.3.17	61	बलुआ पत्थर (₹41800 के बिल का आंशिक भुगतान)	15000
43	16.3.17	61	बलुआ पत्थर	26800
44	20.3.17	62	रेत	7200
45	20.3.17	62	रेत	12000
46	22.3.17	63	पत्थर, रेत व बजरी	15000
47	22.3.17	63	रेत	7560

48	27.3.17	64	पत्थर, रेत व बजरी	55539
49	31.3.17	68	बजरी	17380
50	31.3.17	68	निर्माण सामग्री	21600
	कुल योगः			**1352521**

उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 नियमविरूद्ध ₹1000 से अधिक की राशियों का नकद भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(1 व 2) के अनुसार ₹1000 तक का ही भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है तथा इससे अधिक का भुगतान अनिवार्यतः चैक द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान नरेगा परियोजना के अतिरिक्त लगभग समस्त भुगतान नकद रूप में किए गए प्रतीत होते हैं क्योंकि अधिकतर मामलों में कई–कई भुगतानों के लिए बैंक आहरण सामूहिक रूप से एक ही चैक द्वारा किया गया है जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न सेवा प्रदाताओं/आपूर्तीकर्ताओं को भुगतान नकद रूप में किया गया था। नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान सामने आए कुछ प्रकरण निम्न तालिका में उद्धृत किए गए हैं। इस प्रकार के लेनदेन इन भुगतान की गई राशियों को संदिग्ध बनाते हैं तथा इस प्रकरण की विभागीय स्तर पर गहन जांच की आवश्यकता है।

क्र	**दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ठ**	**आहरण चैक संख्या**	**आहरित राशि**	**आहरणकर्ता**
आई डबल्यू एम पी परियोजना बचत खाता संख्या 12310104270ः–					
1	27.3.15	05	964251	100000	सुशील कुमार
2	16.6.15	06	964252	75000	राकेश कुमार
3	31.7.15	07	964254	41000	मनोहर लाल

4	31.7.15	07	964255	100000	लाल चन्द
5	24.5.16	11	964265	19980	सुशील कुमार
6	24.5.16	11	964266	122000	मनोहर लाल

जलागम परियोजना बचत खाता संख्या 12310103735:–

7	22.4.14	43	364628	176770	भूप सिंह
8	6.8.14	44	364633	60000	भूप सिंह
9	21.10.14	44	364634	29139	भूप सिंह
			कुल योगः–	**723889**	

उपरोक्त तालिका में उद्धृत समस्त आहरण प्रकरणों के विरूद्ध अलग–अलग आपूर्तीकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को एकाधिक भुगतान रोकड़ बही में दर्ज किए गए हैं। अतः इस नियम विरूद्ध कार्य प्रणाली को अपनाए जाने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत पपलाह में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

22 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क के अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाता है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। इन शुल्कों से सम्बन्धित अभिलेख की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इस मद में एकत्र राशि का कोई विवरण संकलित नहीं किया गया है, और न ही सम्बन्धित रजिस्टरों में वसूली के बारे में कोई सन्दर्भ दिया गया है। इस अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण के दौरान न तो इस मद में एकत्र कुल राशि की जानकारी

उपलब्ध हो पाई और न ही इसकी नमूना अंकेक्षण जांच की जा सकी है। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः–** पंचायत द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर में मस्ट्रौल को जारी करने से लेकर भुगतान तक का सम्पूर्ण विवरण जैसे जारी करने की दिनांक, दिहाड़ीदार की कार्ड संख्या, कार्य का नाम, रोजगार अवधि, किए गए कार्य दिवस, भुगतान का ब्यौरा जैसे दिनांक, राशि, रोकड़ बही का पृष्ठ इत्यादि सम्पूर्ण ब्यौरा दर्ज करने के स्थान इनमें से मात्र आधी अधूरी जानकारी ही दर्ज की जाती है।
2. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में किसी प्रकार की प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
3. संलग्न **परिशिष्ट '2'** पर दर्ज टिप्पणी देकर पंचायत रोजगार सहायक व सचिव द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है कि मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया ₹58,48,004 का समस्त व्यय तथा इसी परिशिष्ट अनुसार 34109 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।
4. **रोजगार आवेदन पत्रों का नियमानुसार संरक्षण न करनाः–** नरेगा परियोजना के नियमों के अनुासार पंचायत द्वारा परियोजना के अन्तर्गत रोजगार हेतु प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर कम से कम 14 दिनों का रोजगार दिया जाता है तथा उसी के अनुसार खण्ड परियोजना अधिकारी द्वारा 14 दिनों का मस्ट्रौल जारी किया जाता है। इस आधार पर **परिशिष्ट ''2''** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी अनुसार 34109 दिनों के रोजगार के लिए पंचायत कार्यालय में कम से कम 2437 आवेदन पत्र उपलब्ध होने चाहिए थे जो कि नहीं थे।

5. **रोजगार आवेदन पत्र रजिस्टर का अनुरक्षण न करनाः–** नरेगा परियोजना नियमों के अनुसार पंचायत कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को आवेदन पत्र रजिस्टर में दर्ज करके उस पर दिए रोजगार के भुगतान तक का सम्पूर्ण विवरण संकलित किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया है।

6. **सम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण न किया जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत पपलाह द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24 **₹5829 के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करनाः–** अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान अलग अलग निर्माण कार्यों के बिलों की माप पुस्तिकाओं की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ₹5829 के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत तथा भुगतान किया गया हैः–

क्र	मद	निष्पादित मात्रा (घन मीटर)	मानक प्रमात्रा (घन मीटर) सीमेन्ट (बोरी)	रेत	बजरी
	कार्य का नामः– वर्षा जल संग्रहण टैंक दुर्गा राम की जमीन में, मापन पुस्तिका क्रमांकः– 5565, पृष्ठ 47 पूर्णता दिनांकः– 15–08–2014				
1	1:4:8 सीमेंट कंक्रीट	2.10 घ. मी.	7.14	0.99	1.87
2	1:3 एस आर मैसनरी	16.58 घ. मी.	41.78	4.35	––

3	1:3 सीमेंट प्लास्टर	50.93 व. मी.	7.13	0.73	——
4	1:1.5:3 आर सी सी टैंक स्लैब	1.51 घ. मी.	9.66	0.68	1.36
	कुल योगः–		**65.71**	**6.75**	**3.23**
			अथवा		
			66 बोरी		
	वास्तविक खपतः–		80	7.83	3.14
	अधिक खपतः–		14	1.08	——
	लागत मूल्य दर (₹) ढुलाई लागत सहित		230.25	1400	1200
(क)	**अधिक भुगतानः–**		**3223.50**	**1512.00**	
	कार्य का नामः– सम्पर्क मार्ग ढलोह				
	मापन पुस्तिका क्रमांकः– 7265, पृष्ठ 62				
	पूर्णता दिनांकः– 09/2015				
1	1:3:6 सीमेंट कंक्रीट	15.91 घ. मी.	70	7.47	14.96
	वास्तविक खपतः–		75	7.47	14.15
	अधिक खपतः–		5	——	——
	लागत मूल्य दर (₹) ढुलाई लागत सहित		218.60	1500	1500
(ख)	**अधिक भुगतानः–**		**1093.00**	**——**	**——**
	कुल अधिक भुगतानः–		**4316.50**	**1512.00**	

₹5828.50 अथवा ₹5829/–

उपरोक्त प्रकरण की जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा उचित स्त्रोत से अधिक किए गए भुगतान/खपत की प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत पपलाह में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में इन कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

25.1 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.2 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.3 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25.4 तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

25.5 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच (test check) सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

26 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत पपलाह द्वारा किसी प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई समस्त सामग्री स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित नहीं की गई है। इसी प्रकार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टरों दर्ज नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है तथा सामग्री के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकन तथा उसके उपभोग के विवरण के अभाव में किया गया समस्त व्यय अनियमित है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी

सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

27 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)

10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––
12	सम्पत्ति रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29 विविध अनियमितताएः–

29.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

29.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

29.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

31 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xii) 20/2017–खण्ड–1–5510–5513 दिनाँक 06.09. 2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत पपलाह, विकास खण्ड घुमारवीं तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046